# न्यायालय न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय।

**पीठासीन अधिकारी : मनीषा सिंह** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**क्लेम याचिका सं.– 369/2016**
**सीआईएस नंबर – 642/2018**

1– मुन्नालाल पुत्र श्री नारायण लाल, उम्र– 50 वर्ष,
2– श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री मुन्नालाल, उम्र– 45 वर्ष,
निवासी– मकान नं. 18, हरिजन बस्ती, मुण्डिया रामसर, थाना भांकरोटा, जयपुर।(राज.)
(प्रार्थी सं.1 मृतक स्व. श्री विक्रम का पिता व प्रार्थीया सं.2 माता)

**.......प्रार्थीगण**

**बनाम**

1– ओमपाल सिंह चौहान पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी– राजपूतों का बास, ग्राम पादरला, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
(वक्त दुर्घटना वाहन चालक नं. आरजे–19–यूबी–5600)

2– गुमान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, आयु–39 वर्ष, निवासी– आंगणना, तहसील व जिला जोधपुर (राज.)।
(वक्त दुर्घटना वाहन मालिक नं. आरजे–19–यूबी–5600)

3– इफ्को टोकियों जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., तृतीय तल, मालवा भवन, राजपूताना हॉस्पिटल के पास, खातीपुरा तिराहा, जयपुर (राज.)
(बीमा कम्पनी वक्त दुर्घटना वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600)

**(डिलीट आदेश दिनांक 04.11.2016)**

**.......अप्रार्थीगण/विपक्षीगण**

**याचिका अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधि0 1988**

**उपस्थितः–**

1– श्री राकेश चौधरी व श्री राजकुमार गोयल वि. अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से।
2– अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

**:: निर्णय ::** **दिनांक : 16.09.2025**

1– उक्त क्लेम याचिका प्रार्थीगण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा–166 के तहत प्रस्तुत कर दुर्घटना में विक्रम के चोटें आने से मृत्यु होना बताते हुए मुआवजा राशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.2016 को मृतक अपने वाहन सं. आरजे–14 एक्सडी 2303 से संतोष नगर अजमेर रोड़ जा रहा था समय करीब 12.00– 12.30 बजे सिरसी रोड पांचावाला पर

पिंक सिटी पॉली क्लिनिक के पास पहुँचा तो पीछे से आ रही एक स्कार्पियो गाडी नं. आरजे–19–युबी–5600 को उसका चालक तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मृतक की गाड़ी के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विक्रम गम्भीर रूप से घायल हो गया, सवाई मानसिंह अस्पताल पहुँचाया, जहॉ दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। वक्त दुर्घटना मृतक 21 वर्षीय हष्ट पुष्ट व्यक्ति था तथा किराने की दुकान चलाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित कर अपना पालन पोषण एवं परिवार में सहयोग करता था। प्रार्थीगण को भारी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान कारित हुआ एवं भारी कष्ट वेदना हुई। वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.1 उक्त वाहन का चालक व अप्रार्थी सं.2 पंजीकृत स्वामी के हितार्थ व लाभार्थ उक्त वाहन चला रहा था। अप्रार्थी सं.3 उक्त वाहन की बीमा कम्पनी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण /विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार है। प्रार्थीगण याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

3– अप्रार्थी/विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी को अधिकरण के आदेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा डिलीट किया गया।

4– अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.–1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर वर्णित किया कि अप्रार्थीगण के उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई, प्रार्थीगण ने फर्जी क्लेम लेने की नियत से हितबद्ध लोगों तथा पुलिस प्रशासन से मिलीभगत व साजिश षडयंन्त्र करके क्लेम याचिका पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के वाहन को दुर्घटना में झूंठा लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 खारिज की जाये।

5– पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे–19–यूबी–5600 के चालक विपक्षी सं.1 के द्वारा दिनांक 16.01.2016 को स्थान सिरसी रोड़, पांच्यावाला, पिंकसिटी पॉली क्लिनिक के पास जयपुर पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना में मृतक विक्रम की मृत्यु कारित हुई ?
2. आया उक्त वाहन चालक तब उक्त वाहन के स्वामी विपक्षी

संख्या–2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था?

3. आया विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, तो इसका प्रभाव ?

4. आया दावेदार अपने दावे/दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सका/सके हैं, हॉ ?तो दावेदार कितनी –कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकता/सकते है ?

5. अनुतोष ?

6– प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से बतौर गवाहान ए.डब्ल्यू–1 मुन्नालाल, ए.डब्ल्यू.–2 बबली कुमार को परीक्षित कराया तथा कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 लगायत 15 तक दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। अप्रार्थीगण/ विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7– अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 10.01.2025 को साक्ष्य अप्रार्थीगण/विपक्षीगण बन्द की गई।

8– बहस अन्तिम प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से बहस अन्तिम हेतु कोई उपस्थित नही आया, जिस पर प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। विवाद्यकवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार है :–

## :: विवाद्यक संख्या 1 व 2 ::

9– उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार याचीगण/प्रार्थीगण पर था। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2011 (सुप्रीम कोर्ट) 1504 परमेश्वरी बनाम अमीरचंद के मामलें में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–166 मोटर वाहन अधि0 के मामलों में फौजदारी मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है बल्कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है, उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रकरण पर विचार किया गया।

10– प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 16.01.2016 को घटित दुर्घटना में विक्रम के चोटें आने से मृत्यु हुई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2016 को ईलाज में व्यस्त होने के कारण देरी से दर्ज कराई, दुर्घटना वाहन स्कार्पियों गाडी नं. आरजे–19–यूबी–5600 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई। जिसमें बाद अनुसंधान विपक्षी सं.1 के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.स. व 134/187 एम.वी.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट संबंधित न्यायालय में पेश की है। चश्मदीद साक्षी ए.डब्ल्यू–2 बबली कुमार ने दुर्घटना के तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की है। मृतक की पीएमआर में मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना अंकित है। दुर्घटना वाहन स्कार्पियो गाडी नं. आरजे–19–यूबी–5600 के चालक विपक्षी सं.1 की तेजगति व लापरवाही के कारण ही घटित हुई है तथा वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन चालक, विपक्षी सं.2 वाहन स्वामी के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था।

11– अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 ने जवाब में वर्णित किया कि अप्रार्थीगण के उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई, प्रार्थीगण ने फर्जी क्लेम लेने की नियत से हितबद्ध लोगों तथा पुलिस प्रशासन से मिलीभगत व साजिश षडयंन्त्र करके क्लेम याचिका पेश की गई। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत दुर्घटना में अप्रार्थीगण के वाहन को झूंठा लिप्त किया है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.1 व 2 खारिज की जावे।

12– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में याची/प्रार्थीगण पक्ष की ओर से साक्ष्य में मृतक के पिता ए.डब्ल्यू.1 मुन्नालाल ने साक्ष्य के दौरान दिनांक 16.01.2016 को उसके पुत्र विक्रम का दोस्त बबली के साथ स्कुटी नं. आरजे 14 एक्सडी 2303 से समय करीब 12–12.30 बजे अजमेर रोड संतोषनगर जाते समय सिरसी रोड पांच्यावाला पिंकसिटी पॉलीक्लिनिक के सामने पहुॅचे तो पीछे से एक सफेद रंग स्कोर्पियो नं. आरजे–19 यूबी 5600 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र की गाडी के पीछे से टक्कर

मारकर दुर्घटना कारित करने, जिसके परिणामस्वरूप उसके पुत्र के गम्भीर चोटें आना तथा दौराने ईलाज एसएमएस में दिनांक 18.01.2016 को मृत्यु होना कथन किया। गवाह ने यह भी कथन किया कि दुर्घटना के बारे में उसे बबली व आसपास के दुकानदारों ने बताया। समर्थन में प्रदर्श–1 एफआईआर, प्रदर्श–2 आरसी, प्रदर्श–3 डीएल, प्रदर्श–4 पीएमआर, प्रदर्श–5 चार्जशीट, प्रदर्श–6 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श–7 नक्शा मौका, प्रदर्श–8 फर्द निरीक्षण स्कुटी, प्रदर्श–9 फर्द जब्ती स्कॉर्पियो, प्रदर्श–10 पंचायतनामा, प्रदर्श–11 निरीक्षण लाश, प्रदर्श–12 सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 13 व 14 नोटिस धारा 133 व 134 एमवीएक्ट, प्रदर्श–15 एमआई पेश कर प्रदर्शित कराये। उक्त गवाह से विपक्षीगण द्वारा बावजूद दिये जाने कोई जिरह नहीं की गई।

13– चश्मदीद गवाह के रूप में पेश ए.डब्ल्यु–2 बबली कुमार ने साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 16.01.2016 को वह व विक्रम स्कूटी से संतोष नगर जा रहे थे जैसे ही वे पांच्यावाला रोड पिंक सिटी पोली क्लिनिक अस्पताल के सामने पहुॅचे तो सफेद रंग की स्कोर्पियों नं. आरजे 19 यूबी 5600 पीछे से आई और उनके टक्कर मार दी जिससे वे गिर गये। विक्रम के सिर व कान में चोट आई। विक्रम बेहोश हो गया। स्कोर्पियों वाला भीड देखकर भाग गया। उसने अपने पिता को फोन से घटना की सूचना दी। घटना की रिपोर्ट मुन्नालाल जी ने दर्ज करवाई। प्रदर्श–7 नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। यह दुर्घटना स्कार्पियो चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई। उक्त गवाह से विपक्षीगण द्वारा बावजूद दिये जाने कोई जिरह नहीं की गई।

14– हमने प्रार्थीगण के तर्को पर विचार किया तथा पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक 16.01.2016 की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–6 दिनांक 19.01.2016 को पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर पर मृतक के पिता मुन्नालाल ने दर्ज कराई, जिसमें दिनांक 16.01.2016 के वाहन नं. आरजे–19 –यूबी–5600 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र के गाडी नं. आरजे–14 एक्सडी 2303 पर जाते हुए के पीछे से टक्कर मारना, जिसके उसके पुत्र के गम्भीर चोटें आना तथा जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 18.01.2016 को मृत्यु होना वर्णित किया है, जिस रिपोर्ट पर प्रदर्श–1

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 29/2016 पुलिस थाना करणी विहार जयपुर पर दर्ज हुई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा विपक्षी सं.1 ओमपाल सिंह द्वारा प्रश्नगत वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना, जिसके परिणामत स्वरूप मृतक के गम्भीर चोटें आने से मृत्यु होना प्रमाणित पाते हुए विपक्षी सं.1 के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. व धारा 134/187 एमवी एक्ट के तथा विपक्षी सं. 2 गुमान सिंह के विरूद्ध धारा 146/196 एमवी एक्ट के अपराध में प्रदर्श–5 आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया। दुर्घटना के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज नक्शा मौका प्रदर्श–7 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इसमें मार्क एक्स स्थान पर दुर्घटना घटित होना दर्शाया गया है तथा हालात मौका में– वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर स्कूटी नं. आरजे 14 एक्सडी 2303 के टक्कर मारना वर्णित है, जिससे भी उक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन स्कॉर्पियों नं. आरजे–19–यूबी–5600 के चालक की तेजगति व लापरवाही से दुर्घटना घटित होना स्पष्ट प्रकट होता है। प्रदर्श–8 फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल (स्कूटी) नं. आरजे 14 डीएक्स 2303 तथा प्रदर्श–9 फर्द जब्ती स्कार्पियों वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600 में वर्णित वाहनों के हुलिया से तथा प्रदर्श–15 मैकेनिकल मुआयना वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600 से भी दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि होती है। इसके अलावा प्रदर्श–13 धारा 133 एमवीएक्ट नोटिस के जवाब में विपक्षी सं.2 गुमान सिंह ने उक्त वाहन नं. आरजे–19–यूबी–5600 का स्वामी होना व वक्त दुर्घटना उक्त वाहन ओमपाल सिंह द्वारा चलाना, जिसके द्वारा उसे दुर्घटना की सूचना देना तथा प्रदर्श–14 धारा 134 एमवीएक्ट नोटिस के जवाब में विपक्षी सं.1 ओमपाल सिंह द्वारा दिनांक 16.01.2016 को उक्त वाहन का चालक होना, सिरसी रोड होते हुए जाना स्वीकार किया है। प्रदर्श–4 पीएमआर में मृतक विक्रम की मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना स्पष्ट रूप से अंकित है तथा प्रदर्श–10 फर्द पंचायतनामा व प्रदर्श–11 रसीद सुपुर्दगी लाश है। स्वंय अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से पेश जवाब याचिका में अप्रार्थी सं.1 ने उक्त वाहन का चालक व अप्रार्थी सं.2 ने उक्त वाहन का मालिक होना स्वीकृत रूप से अंकित

है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यू—2 बबली कुमार ने साक्ष्य में स्वंय का वक्त दुर्घटना मृतक के साथ स्कूटी पर जाना तथा वाहन स्कार्पियों नं. आरजे—19—यूबी—5600 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना होना, जिससे मृतक के सिर व कान में चोटें आना स्पष्ट कथन करते हुए दुर्घटना के तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की है। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से प्रार्थीगण के उक्त गवाहन ए.डब्ल्यु—1 व 2 से बावजूद दिये जाने जिरह नहीं की गई, ऐसे में प्रार्थीगण की साक्ष्य का कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं है।

15— इस प्रकार पत्रावली पर आये तथ्यों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत वाहन स्कार्पियों नं. आरजे—19—यूबी—5600 के चालक विपक्षी सं.1 द्वारा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप मृतक विक्रम के गम्भीर चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई।

16— जहां तक वाहन चालक विपक्षी सं.1 का, वाहन स्वामी विपक्षी सं. 2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ वाहन को दुर्घटना के समय चलाये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना के समय विपक्षी सं.1 का उक्त वाहन पर चालक होना तथा प्रदर्श—2 आरसी अनुसार वाहन नं. आरजे—19—यूबी—5600 का पंजीकृत स्वामी होना प्रकट होता है, प्रदर्श—3 डी एल विपक्षी सं.—1, प्रदर्श—5 आरोपपत्र आदि के अवलोकन से उक्त वाहन को विपक्षी सं.1 वाहन चालक द्वारा पंजीकृत स्वामी विपक्षी सं.2 के नियोजन में उसके हितार्थ एव लाभार्थ वाहन को दुर्घटना के समय चलाया जाना साबित होता है।

17— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

**:: विवाद्यक सं0—3 ::**

18— इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी सं.2 पर था। विवाद्यक सं.1 व 2 के निर्णय में विपक्षीगण की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए उक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन नं. आरजे—19—यूबी—5600 के चालक की

तेजगति व लापरवाही से होना साबित हुआ है। प्रदर्श—2 आरसी अनुसार उक्त वाहन का विपक्षी सं.2 पंजीकृत स्वामी होना प्रकट होता है, प्रदर्श—5 आरोपपत्र में विपक्षी सं.2 के विरूद्ध धारा 146 / 196 एमवीएक्ट के अपराध का आरोप है। जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रदर्श—3 डी एल अनुसार वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 के पास उक्त वाहन चलाने का वैद्य एवं प्रभावी डीएल होना प्रकट होता है। अन्य आपत्तियों के संबंध में अप्रार्थीगण / विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई है, वे किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी / विपक्षी सं.—2 अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। अतः यह विवाद्यक अप्रार्थीगण / विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

**:: विवाद्यक सं0—4::**

19— इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.3 अप्रार्थीगण / विपक्षीगण के विरूद्ध उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णीत किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दुर्घटना में आई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण / विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है, क्षतिपूर्ति राशि किस किस प्रकार से किन किन मदों में दिलवाई जावे, इस सम्बन्ध में विचार किया जाना हैं।

20— उक्त क्लेम याचिका में उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि दुर्घटना से पूर्व उसका पुत्र किराने की दुकान कर आय अर्जित करता था, प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित थे, मृतक अविवाहित था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

21— जबकि अप्रार्थीगण / विपक्षीगण ने जवाब याचिका में वर्णित किया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण / विपक्षीगण से कोई क्षतिपूति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

22— इस सम्बन्ध में मृतक के पिता मुन्नालाल ए.डब्ल्यू.—1 ने साक्ष्य में कथन किये है कि दुर्घटना से पूर्व उसका पुत्र किराने का दुकान चलाता था जिससे उनको सहयोग करता था। अप्रार्थीगण / विपक्षीगण ने बावजूद दिये जाने अवसर उक्त गवाह से जिरह नहीं की, ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य पेश की।

23– हमनें तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली पर साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। मामलें में प्रार्थीगण के रूप में मृतक के माता पिता पक्षकार है, जिनके द्वारा विधिक उत्तराधिकारी व आश्रित की हैसीयत से दावा पेश करना वर्णित किया है। वक्त दुर्घटना मृतक के विवाहित होने के संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वक्त दुर्घटना मृतक का अविवाहित होना प्रकट होता है। जहॉ तक मृतक की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने मृतक का दुर्घटना से पूर्व किराने की दुकान कर 10 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना याचिका में वर्णित किया है। ए.डब्ल्यु–1 ने साक्ष्य में मृतक का किराने की दुकान कर आय अर्जित करना कथन किया, परन्तु प्रार्थीगण ने मृतक के कार्य व आय कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। मृतक दुर्घटना से पूर्व कोई कार्य कर आय अर्जित नहीं करता हो, इसके संबंध में कोई साक्ष्य अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की नहीं है। मृतक कहॉ तक पढा लिखा था इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अकुशल श्रेणी का मानते हुए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है, यह प्रकरण वर्ष 2016 में दुर्घटना दिनांक 16.01.2016 का होने के कारण मृतक की मासिक आय 5,122/–रूपये प्रतिमाह मानी जाना न्यायोचित है, जो वार्षिक 61,464/–रूपये होती है।

24– अब इस प्रकरण में यह निर्धारण किया जाना है कि मृतक की वक्त दुर्घटना वास्तविक उम्र कितनी थी, प्रार्थीगण ने याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 21 वर्ष होना बताया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–4 में मृतक की आयु 21 वर्ष वर्णित है तथा पंचायतनामा व सुपुर्दगीलाश में भी मृतक की आयु 21 वर्ष वर्णित है, जिसके खण्डन में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 21 वर्ष अर्थात उम्र 21 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य वक्त दुर्घटना मानी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

25– इस प्रकरण में मृतक पर कौन–कौन आश्रित है, इस पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी सं.1 मृतक का पिता व प्रार्थीया सं.2 मृतक की माता है। प्रार्थीगण 1 व 2 मृतक के पिता व माता आश्रित नहीं हो, ऐसी विपक्षीगण

की कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मामलें प्रार्थीगण सं. 1 व 2 मृतक के पिता व माता को मृतक पर आश्रित होना माना जाना न्यायोचित है। चूंकि मृतक अविवाहित है, माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सरला वर्मा(श्रीमती) व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि. व अन्य, 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.)पेज 684 में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है उसके अनुसार अविवाहित के मामलें में यदि क्लेमेंट्स माता—पिता हो तो 50 प्रतिशत राशि मृतक द्वारा स्वंय पर खर्च किया जाना माने जाने का उल्लेख किया गया है। इस मामलें में वक्त दुर्घटना मृतक की वार्षिक आय 61,464/—रूपये मानी गई है, उसमें से पच्चास प्रतिशत राशि मृतक के स्वंय पर खर्च करना मानते हुए प्रार्थीगण को 30,732/—रूपये आश्रितता का नुकसान होना माने जाने योग्य है।

26— माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम0 मन्सूर बनाम युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. व अन्य सिविल अपील सं. 8612/2013 में पूर्व के अमृत भानु शैली वाले मामलें को आधार बनाकर पुनः यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक की आयु के आधार पर गुणक का प्रयोग किया जाना चाहिये और यह माना जाना चाहिये कि 50 प्रतिशत राशि स्वंय पर व्यय करता।

27— उक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के मक्कू वाले मामलें व माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों अमृत भानु शैली व एम. मंसूर के निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए इस मामलें में मृतक की आयु के आधार पर गुणक प्रयोग किया जाना मेरे न्यायिक विवेक से उचित है और इसी गुणक के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जाना न्यायोचित है।

28— इस मामलें में मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होना मानी गई हैं। न्यायिक विनिश्चिय सरला वर्मा वाले मामलें जो विवेचन किया गया है, उसके अनुसार 21 से 25 वर्ष की आयु के मामलों में 18 का गुणक प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। ऐसी अवस्था में इस मामलें में मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होने से 18 का गुणक प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा इसी आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। इस मामलें में 30,732/—रूपये वार्षिक आश्रितता की क्षति होना मानी गई है, जिसको 18 से गुणा करने पर 5,53,176/—रूपये की आश्रितता की क्षति की

राशि निर्धारित की जाती है।

29– अब इस मामले में इस बिन्दू पर विचार किया जाना है कि क्या मृतक की भविष्य की आय की बढोत्तरी करते हुवे क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जावे। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (4) टी ए सी पेज–673 एस सी नेंशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम प्रणय सेठी व अन्य निर्णय में स्व नियोजित वेतनभोगी मृतक व्यक्ति के लिये मृतक की आयु 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत मृतक की आय में भविष्य की आय की बढोत्तरी करते हुए क्षतिपूर्ति राशि की गणना किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये है। इसी निर्णय में यह भी सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि कंसोर्टियम के मद में 40,000 / –रूपये, सम्पत्ति क्षति के मामले में 15000 / –रूपये व दाह संस्कार व अन्य धार्मिक रिति रिवाजों पर व्यय किये गये मद मे 15000 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाने के दिशा निर्देश दिये है।

30– हस्तगत प्रकरण में मृतक की मृत्यु के समय आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य मानी गई है, इस मामले में आश्रितता राशि 5,53,176 / –रूपये मानी गई है, इस राशि की 40 प्रतिशत भविष्य की आय की क्षति 2,21,270 / –रूपये मानी जाती है, इस प्रकार आश्रितता राशि भविष्य की आय सहित कुल 7,74,446 / –रूपये होती है जो प्रार्थीगण विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

31– प्रार्थीगण अपने पुत्र की सेवा सृश्रृषा, स्नेह के लिये सदैव के लिये वंचित हो गये हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1145, दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानूराम व अन्य 2018 (18) एस.सी.सी. 130 तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सोमवती 2020(9) एस.सी.सी. 644 में प्रतिपादित कन्सोर्टियम की मद में पति / पत्नी, पुत्र / पुत्रियों, व माता पिता की क्षतिपूर्ति के संबंध में दिये गये निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

32– नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी बनाम प्रणेय सेठी के निर्णय दिनांक 31

अक्टूबर, 2017 के पैरा नंबर 61 (Viii) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs 15000/-, Rs 40,000/-, Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three Years.

33– माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत नानूराम व सोमवती, दोनों के ही अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्रणय सेठी के मामले में नियत राशि 40,000/–रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 30 प्रतिशत वृद्धि) = 52,000/–रूपये कन्सोर्टियम की मद में दिलाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रार्थीगण अपने पुत्र के स्नेह, लाड प्यार, सेवा सुश्रृषा से वंचित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण सं 1 व 2 प्रत्येक को कन्सोर्टियम की मद में 52,000/रूपये – 52,000/–रूपये इस प्रकार कुल 1,04,000/–रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायोचित है। इसके साथ ही प्रार्थीगण को मृतक के अंतिम संस्कार की मद में 15,000/–रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 30 प्रतिशत वृद्धि) = 19,500 व सम्पत्ति नुकसान की मद में 15,000/–रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 30 प्रतिशत वृद्धि) = 19,500/– दिलाया जाना न्यायोचित है।

34– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण निम्न प्रकार से विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हैः–

| क्र.सं. | मद का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1. | आश्रितता राशि के मद में भविष्य की आय की क्षति सहित | 7,74,446/– |
| 2. | दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य | 1,02,000/– |
| 3. | अंतिम संस्कार | 19,500/– |
| 4. | मृतक की सम्पत्ति नुकसान | 19,500/– |
| | **कुल राशि** | **9,15,446/–** |

35– इस प्रकार प्रार्थीगण, विपक्षीगण/अप्रार्थीगण से सयुंक्ततः एवं पृथक–पृथकः रूप से 9,15,446 (अक्षरे नौ लाख पन्द्रह हजार चार सौ

छियालीस रूपये ) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होगें, शेष राशि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की प्रार्थना साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

36– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 4 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

## अनुतोष

37– उपरोक्तानुसार की गई विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण, 9,15,446 (अक्षरे नौ लाख पन्द्रह हजार चार सौ छियालीस रूपये ) की राशि प्रतिकर के रूप में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। उक्त राशि में से दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 24.06.2016 से 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज दिलाया जाना भी उचित है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –:: पंचाट ::–

38– परिणामतः प्रार्थीगण की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से सयुंक्ततः एवं पृथक–पृथकः रूप से बतौर क्षतिपूर्ति 9,15,446 (अक्षरे नौ लाख पन्द्रह हजार चार सौ छियालीस रूपये ) प्राप्त करने के अधिकारी होगें। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी।

39– प्रार्थीगण याचिका के प्रस्तुत होने की दिनांक 24.06.2016 से उपरोक्त क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि में से दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होगा। अप्रार्थीगण/

विपक्षीगण उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को प्रदत्त करने बाबत् नियमानुसार अधिकरण के खाते में जरिये नेफ्ट एक माह की अवधि में जमा करवायेगें, अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से प्राप्त होने वाली राशि में से प्रार्थी सं. 1 मुन्नालाल मृतक के पिता को तीन लाख पचास हजार रूपये की राशि देय होगी, जिसमें से पचास हजार रूपये छह माह, एक लाख रूपये की राशि एक वर्ष, एक लाख रूपये की राशि दो की अवधि के लिये उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा करवायी जावेगी तथा शेष राशि एक लाख रूपये उसके बचत खाते में जमा होगी। प्रार्थी सं. 1 को देय होने के पश्चात शेष अवार्ड राशि पर अर्जित ब्याज की राशि प्रार्थीया सं.2 श्रीमती आशा देवी मृतक की माता को देय होगी, जिसमें से एक लाख रूपये की राशि छह माह, एक लाख रूपये की राशि एक वर्ष व एक लाख रूपये की राशि तीन वर्ष की अवधि के लिये उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा करवायी जावेगी तथा शेष राशि प्रार्थीया सं.2 श्रीमती आशा देवी के बचत बैंक खाते में जमा करवायी जावेगी, शेष अनुतोष की हद तक याचीगण/प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाती है।

( मनीषा सिंह )

40— निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

( मनीषा सिंह )